जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (लेखा,कर एवं राजस्व)

क्रमांकः जे.पी.डी./मु.ले.अ(ले.क.रा.)/राज./पत्रा.388/प्रे.2539 जयपुर, दिनांकः25/10/12

–: आदेश :–

TCOS के प्रावधानो के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बढी हुई उपभोक्ता जमानत राशि के जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस दिये जाते है। इस संदर्भ में बहुत सारे उपभोक्ताओं को यह शिकायत है कि पूर्व में जमा करायी गयी उपभोक्ता जमानत राशि या अतिरिक्त उपभोक्ता जमानत राशि का सही इन्द्राज नोटिस मे नही किया गया है इससे यह आशय निकलता है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा पूर्व मे जमा करवायी गयी अतिरिक्त उपभोक्ता जमानत राशि कि सूचना निर्धारित इनपुट एडवाईज (2E) से नहीं भिजवायी गयी है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है एवं उपभोक्ताओं में असंतोष पैदा होता है जिससे विद्युत निगम की छवि पर विपरित प्रभाव पडता है।

अतः समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि PCB को वृत्त लेखा अधिकारी के पास भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जमा अतिरिक्त उपभोक्ता जमानत राशि की सूचना निर्धारित प्रारूप मे कम्प्यूटर एजेंसी को भेज दी गयी है। लापरवाही बरतने पर संबधित सहायक राजस्व अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कि जावेगी। वृत्त लेखाधिकारी भी समय समय पर इस ओर अपना पूरा ध्यान देंगे।

(के.एल.गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा,कर एवं राजस्व)

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1 मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
2 मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3 अधीक्षण अभियन्ता (IT), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर .... अपने अधीनस्थ सभी अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को प्रति भेजकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे निगम की साइट पर अपलोड करे।
4 निजी सहायक निदेशक (वित्त/तकनीकि), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
5 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.......... ।
6 मैसर्स बीसीआईटीएस, खंडेला हाऊस, बी. 20, प्रथम तल, शिव मार्ग बनीपार्क,/ मैसर्स डाटा इंफोसिस, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।

5

मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा,कर एवं राजस्व)